सॅख्या-~~496~~ 496/XXIV-3/08/02(71)/2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादूनः दिनॉक 24 मार्च, 2008

विषयः स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज, भवाली, नैनीताल के चालू भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/30136/5ख 1/भ0नि0/1/2007-08, दिनॉक 07 अगस्त, 2007 एवं शासनादेश संख्या 367/XXIV-3/05, दिनॉक 11.11.2005 तथा शासनादेश संख्या 572/XXIV-3/06/2(71)/2005, दिनॉक 26.10.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज, भवाली, नैनीताल के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 69.37 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख को समायोजित करते देय अवशेष **रू0 19.37 लाख** (रू0 उन्नीस लाख, सैतीस हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनॉक 03.8.2007 एवं शासनादेश संख्याः 1974/XXIV-3/07/02(20)/ 2007, दिनॉक 26 दिसम्बर,2007 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1886.92 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उल्लिखित विद्यालय अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त कार्यो को समयबद्ध ढंग से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए विभाग को हस्तगत किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

कमशः.............2

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

11– जी0पी0डब्ल्यू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें।

13– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–02–अ0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–अ0सू0 जा0बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0/इण्टर कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1188(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/07 दिनॉक 20 मार्च,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

कमशः...........3

संख्या–496(1)/XXIV-3/08/02(71)/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
6– अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
8– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9– जिलाधिकारी, नैनीताल।
10– कोषाधिकारी, नैनीताल।
11– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
12– सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
13– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड सचिवालय।
15– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16– गार्ड फाइल।

अर्पण

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव